अंक ५८

नई दिल्ली, दिसम्बर २०१४

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'भर्ती में महिलाओं को आरक्षण केवल पिछड़े राज्यों में दिया जाना चाहिए'

श्रीमती एस. अजीता बेगम

आई.पी.एस. श्रीमति एस. अजीता बेगम (३०) उप आयुक्त कानून–व्यवस्था, त्रिवेन्द्रम शहर से पुलिस में महिलाओं तथा अन्य सामान्य विषयों पर, ज़ीनत मलिक द्वारा टेलिफोन पर लिए गये साक्षात्कार को पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

केरल पुलिस ने निचले स्तर की महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक कॉनफ्रेंस का आयोजन किया था जिसके प्रबंधन और संचालन में आपने महत्वपूर्ण दायित्व निभाया था। कृपया इसके उद्देश्य और उपलब्धियों के बारे में बतलाएं?

प्रत्येक वर्ष आई.पी.एस. अधिकारियों की कॉनफ्रेंस का आयोजन किया जाता है जिसमें देश भर से पुलिस अधिकारी भाग लेते हैं, बहुत सी परिचर्चाएं होती हैं, फिर बी.पी.आर एण्ड डी. इसकी रिपोर्ट निकालती है जिसमें इस कॉनफ्रेंस की सिफ़ारिशों का भी समावेश होता है। लेकिन, ऐसा कोई मंच निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं था और केरल में जब महिला पुलिस की बात होती है तो यह देश के सबसे बेकार राज्यों में से एक है, हमें अभी इस ओर बहुत काम करना है। हम निचले स्तर की महिला पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करना चाहते थे – कांस्टेबुलरी से उप–अधिक्षक स्तर की महिलाओं को। और, इसके लिए अलग–अलग राज्यों से उसी स्तर की महिला पुलिसकर्मियों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि वे आपस में मिलकर यह देखें और समझें कि किस प्रकार उन्हीं के स्तर की महिलाएं विभिन्न परिस्थितियों में काम कर रही हैं।

पिछले वर्ष इस कॉनफ्रेंस की एक उपलब्धि, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह है कि पहले निचले स्तर की महिलाओं की वर्दी ऐसी थी कि उन्हें शर्ट के ऊपर बेल्ट पहनना होता था अर्थात् वे शर्ट टक इन नहीं कर सकती थीं जिससे उनका बाहरी व्यक्तित्व स्मार्ट नहीं दिखता था। कॉनफ्रेंस में देश भर से महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था और इस बात पर लंबी चर्चा हुई थी और फिर सब ने यह सिफ़ारिश की, कि निचले स्तर पर महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी में उन्हें अपनी ईच्छा अनुसार टक इन करने की स्वतंत्रता दी जाए। डी.जी.पी. ने इसके लिए विशेष सर्कुलर भी जारी किया था। और अब नई एस.आई. जो प्रशिक्षण ले रही हैं और कांस्टेबुलरी के पोशाक के नियम बदल दिये गये हैं और उन्हें टक–इन ही करना है। यह एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। इसके अलावा, भर्ती की नीतियों में भी परिवर्तन किया गया है जैसे : पहले यह था कि यदि २०० कांस्टेबुलरी की भर्ती होनी है तो उसमें यह लिखा होता था कि केवल पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं जिसे कभी भी चुनौती दी जा सकती थी। पिछले वर्ष के कॉनफ्रेंस के बाद इसे भी बदल कर लिंग रहित कर दिया गया है और अब कोई भी आवेदन कर सकता है। हालांकि, शारीरिक मानदण्ड दोनों के लिए अलग होंगे।

यह इस कॉनफ्रेंस का दूसरा वर्ष था जिसमें देश भर से लोगों ने और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया – सी.एच.आर.आई. की निदेशिका श्रीमति माया दारूवाला भी इसमें पधारी थीं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्तुति और परिचर्चाएं हुईं – अदिवासियों के अधिकार, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कैसे महिला पीड़ितों के प्रति और अधिक समानुभूति रखी जाए, कैसे अधिक संवेदनशीलता पूर्वक व्यवहार किया जाए। दूसरे दिन तकरीबन ३ घण्टों की एक प्रस्तुति तमिलनाडू पुलिस द्वारा की गई जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार वे महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने में सफल हुए हैं। अभी हम इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसकी एक कॉपी प्रत्येक राज्य के डी.जी.पी. को और बी.पी.आर एण्ड डी. को भी भेजेंगे। जिस बी.पी.आर एण्ड डी. से यह निवेदन भी करेंगे कि अब वह इसके आयोजन की ज़िम्मेदारी उठाएं उसी तरह जैसे दूसरे आई.पी.एस. कॉनफ्रेंस का आयोजन किया जाता है ताकि इसे और तत्परता से और सभी राज्यों में किया जा सके।

क्या आपके विचार में पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाना चाहिए?

मैं आरक्षण नीति की समर्थक नहीं हूँ। जो थोड़े पिछड़े राज्य हैं जहां महिलाओं की साक्षरता बहुत कम है वहां तो ठीक है। लेकिन, केरल में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं और यहां शत प्रतिशत साक्षरता है तो यहां अगर भर्ती के पद खुलेंगे तो महिलाएं भी समान रूप से आवेदन करेंगी। मुझे नहीं लगता कि यहां आरक्षण की आवश्यकता है। जहां महिलाओं की साक्षरता दर में कमी है वहां यदि खुली भर्ती की जाएगी तो महिलाएं कम संख्या में आवेदन करेंगी, ऐसे में एक निश्चित भगीदारी दर लाने के लिए प्रारंभिक चरण में आरक्षण दिया जा सकता है।

क्योंकि आप उप आयुक्त कानून–व्यवस्था हैं इसलिए कृपया यह बतलाएं कि क्या कानून–व्यवस्था को संभालने में जांच का काम पिछड़ जाता है? यदि 'हां' इसके निराकरण के क्या उपाय हो सकते हैं?

जैसा कि पुलिस सुधार पर कई सारी समितियों और आयोगों ने सुझाव दिया है कानून–व्यवस्था और जांच के लिए अलग पुलिस विंग होनी चाहिए लेकिन इसे कहीं भी लागू नहीं किया गया है न ही केरल में, अभी हमें कोजिखोड और त्रिवेंद्रम में लागू करके देखने का निर्देश दिया गया है। लेकिन, क्योंकि मैं तमिलनाडु से हूँ वहां के अनुभव बतला सकती हूँ कि वहां एक अपराध शाखा है और एक कानून–व्यवस्था शाखा–अपराध शाखा अपराध की जांच पर काम करता है और केसों का निपटारा बहुत अच्छा है। लेकिन, यहां त्रिवेंद्रम में ऐसा नहीं है और यह राजधानी होने के कारण यहां प्रतिदिन औसतन ४-५ मार्च होते रहते हैं और जब विधानसभा के सत्र चलते हैं तब तो प्रतिदिन प्रदर्शन होते रहते हैं। राज्य भर से यहां आकर लोग जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और यहां केसों का निपटारा कठिन है। सैंकड़ों केस अब भी विचाराधीन हैं २००३, २००४ के केस भी हैं। इनके निपटारे के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक और कर्तव्यनिष्ठ जांच अधिकारियों की आवश्यकता है। ऐसे में, इसका समाधान केवल इसी में निहित है कि जांच और कानून–व्यवस्था के लिए अलग विंग बनाये जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच विंग के पुलिस अधिकारियों को कानून–व्यवस्था में न लगाया जाए। हालांकि, हमारे पास अभी एक सब–इंस्पेक्टर अपराध और एक सब–इंस्पेक्टर कानून–व्यवस्था नियुक्त है लेकिन जब कोई बहुत बड़ी प्रदर्शनी हो तो हम अपराध शाखा के लोगों को भी लेते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। शहरों में अपराध के लोगों को किसी भी परिस्थिति में कानून–व्यवस्था में नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि वहां तो रोज़ ही कुछ न कुछ होगा और रजिस्टर होने वाले केसों की संख्या भी अधिक होगी और इसके लिए उचित संख्या में जांच अधिकारियों

शेष भाग पृष्ठ २ पर.....

बूझो और जीतो–३६

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड के अंतर्गत, हमने जून २०१४ से इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक रोचक और विशिष्ट बनाने के लिए, इसे एक ख़ास विषय पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया था। और, इस बार 'महिलाओं से संबंधित प्रावधानों' से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए पर्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या किसी गर्भवती महिला को मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है?

२. क्या महिला के शरीर से चोरी करके छुपाई गई सोने की चेन को निकालने के लिए पुलिस उसके शरीर की तलाशी ले सकती है? क्या कोई विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है?

३. एक थाने में हत्या की आरोपी एक महिला को शाम ४ बजे गिरफ़्तार किया गया। लेकिन, वहां उसके लिए अलग लॉक–अप नहीं है। क्या उसे केवल रात भर के लिए एक पुरुष बंदी के साथ लॉक–अप में रखा जा सकता है?

४. क्या बलात्कार पीड़ित युवती को अपना बयान दर्ज कराने के लिए थाने आना अनिवार्य है?

५. क्या एक आम और असमबद्ध व्यक्ति को भी बलात्कार के केस की कार्यवाही अदालत में बैठकर देखने की आज्ञा है?

बूझो और जीतो – ३३ का परिणाम

सितंबर २०१४ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. हां, द.प्र.सं. की धारा १५१(१) के अनुसार यदि कोई पुलिस अधिकारी यह जानता है कि कोई व्यक्ति एक संज्ञेय अपराध करने का डिज़ाइन बना रहा है और बगैर उसे गिरफ्तार किये वह अपराध करने से रोक नहीं सकता तो वह बगैर वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के उसे गिरफ्तार कर सकता है।

२. द.प्र.सं. की धारा १५० के अनुसार उस कांस्टेबल को क्षेत्रीय बैंक में लूट की योजना बनाने की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों और थाना प्रभारी को देनी चाहिए ताकि वे इसे रोकने के लिए कार्यवाही कर सकें।

३. द.प्र.सं. की धारा १५१(२) के अनुसार एक व्यक्ति जिसके बारे में पुलिस को संज्ञेय अपराध की तैयारी करने की सूचना प्राप्त होती है, उसे पुलिस २४ घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकती है।

४. पुलिस का यह दायित्व है कि वह हर प्रकार के अपराध को घटित होने से रोके। लेकिन, असंज्ञेय अपराध को घटित होने से रोकने के लिए पुलिस संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ़्तारी नहीं कर सकती है।

५. हां, द.प्र.सं. की धारा १००(१) के अंतर्गत तलाशी के वॉरंट के साथ पुलिस किसी के घर में घुस कर भी तलाशी ले सकती है।

विजेता :

इस बार बूझो और जीतो–३३ के लिए प्राप्त प्रविष्टिशें में हमें किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए। इसलिए इस बार किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–१६
फोन: ९१ ११ ४३१०८००, ४३१०७२२५
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई–मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

दण्ड दिलाने की चाह और मुंबई पुलिस की राह!

मुंबई पुलिस का अपराध सिद्धि दर इस वर्ष अब तक ५१ प्रतिशत तक पहुँच चुका है और इसका श्रेय बहुत हद तक नव नियुक्त 'पैरवी अधिकारियों' को जाता है जिन्हें शहर भर के सभी ६३ थानों में नियुक्त किया गया है। इसकी वकालत करते हुए संयक्त आयुक्त (अपराध) श्री सदानंद दाते ने कहा कि "पैरवी अधिकारियों की नियुक्ति और दूसरे कारकों ने समग्र रूप से अपराध सिद्धि दर को बढ़ाया है। हम आशा करते हैं कि अपराधसिद्धि दर दिसंबर के अंत तक और बढ़ेंगे।"

इस वर्ष के प्रारंभ में, पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने जांच अधिकारियों को चेक करने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से केसों का फॉलो–अप करने के लिए सभी थानों में पैरवी अधिकारियों की नियुक्ति, एक लॉ अफ़सर की नियुक्ति और जब तक मुकदमा चल रहा हो तब तक गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।

नवंबर तक अपराध सिद्धि ५१ प्रतिशत हो चुका था जोकि पिछले वर्ष से ६४ प्रतिशत अधिक था। इनमें ३१ प्रतिशत भ. द. सं. के केस थे और शेष विशेष कानूनों के अंतर्गत लघु अपराधों के केस थे। जबकि पिछले वर्ष अपराधसिद्धि ३१.०१ प्रतिशत था जिसमें से १६ प्रतिशत भ. द. सं. के अंतर्गत केस थे और बाकी दूसरे विशेष कानूनों के अंतर्गत।

पुलिस ने बतलाया कि आंतरिक लेखा परीक्षण में पाया गया था कि अपराधसिद्धि दर में कमी का कारण था – जांच ठीक से न करना या जांच अधिकारी का हस्तांतरण हो जाना, शत प्रतिशत मान्य साक्ष्यों के एकत्रित करने में कमी होना और जांच के दौरान फौरेंसिक विशेषज्ञ की सहायता न लेना। इस लेखा परीक्षण के आधार पर ही श्री राकेश मारिया ने जांच की गुणवत्ता और अभियोजन के केस को मज़बूती से अदालत में प्रस्तुत करने के लिए पैरवी अधिकारी और विधि अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया था जिसके इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि पुलिस और अभियोजन की ईच्छाशक्ति और कर्तव्यनिष्ठा मिल जांए और वे एक टीम बनकर काम करें तो अदालतों से शायद ही कोई अपराधी साक्ष्यों की कमी के कारण रिहाई प्राप्त करे। स्वंय मुंबई पुलिस के एक प्रयोग ने इस अवधारणा को सत्य सिद्ध कर दिया है। ऐसा नहीं है कि जनता अपराधों और दूसरे लोगों के तकलीफ़ों के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है और इसी कारण अपराधों की जानकारी होते हुए भी गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आती बल्कि ऐसा वह आत्मरक्षा में करती है। लेकिन, जब पुलिस गवाहों को उचित सुरक्षा प्रदान कराने का विश्वास दिलाती है तो कई लोग गवाही देने के लिए सामने आ जाते हैं और इसका लाभ केस और अंततः पीड़ित और आम जनता को मिलता है।

श्री राकेश मारिया ने भी इस पर कहा कि "अब, हम गवाह संरक्षण स्कीम के अतंर्गत मुकदमे के अंत तक गवाहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके बयान की वीडियोग्राफी की जाए ताकि यदि वह बाद में इससे मुकर भी जांए तो केस पर इसका असर न हो।" उन्होंने आगे यह भी कहा कि "पैरवी अफसरों के अलावा सभी प्रांतीय और मंडलीय कार्यालयों पर जांच अधिकारियों को जांच में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए लॉ अफ़सरों की नियुक्ति से भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं।"

संक्षेप में, यह कहना पर्याप्त होगा कि मुंबई पुलिस द्वारा अपराधियों को दण्ड दिलाने के लिए जो कदम उठाये गये थे वे अत्यंत सराहनीय हैं और दूसरों शहरों के लिए अनुकरणीय (role model) भी। इसे अपनाने के लिए महानगरों को तो किसी प्रकार के बदलाव करने की भी आवश्यकता नहीं आएगी और यह अपराधसिद्धि दर को बढ़ाने के लिए एक कारगर तरीका होगा। आशा है, इसे बाकी स्थानों पर शीघ्र ही अपनाया जाए।

– ज़ीनत मलिक

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १७ दिसंबर २०१४)

तथ्य एंव आँकड़े

३ वर्षों में उत्तरीपूर्व नागरिकों के विरुद्ध ४ शहरों में दर्ज केसों की कुल संख्या

अवधि	दिल्ली	बेंगलुरू	मुंबई	गुड़गांव
३१ अक्टूबर २०१४	२३२	७	कोई केस नहीं	७ (२३ नवंबर तक)
३१ दिसंबर २०१३	७१	४	कोई केस नहीं	कोई केस नहीं
३१ दिसंबर २०१२	५५	१८	कोई केस नहीं	२

पृष्ठ १ का शेष भाग.....

की आवश्यकता होगी। लेकिन, देहाती क्षेत्रों में अलग स्थिति होगी वहां हर दिन प्रदेर्शन नहीं होंगे। वहां अगर दोनों विंग को अलग रखा जाएगा तो कानून–व्यवस्था के लोगों के पास कोई काम ही नहीं होगा। इसलिए, वहां एस.एच.ओ. को स्थिति को संभालना होगा और कानून व्यवस्था के लोगों को भी जांच का काम देना होगा ताकि उचित संतुलन बना रहे।

क्योंकि आप इतनी जल्दी अपने करियर में इतने बड़े दायित्व को निभा रही हैं, शहर पुलिस के नेतृत्व में दूसरे नंबर हैं, एक महिला मार्गदर्शक होने पर कैसा अनुभव होता है? अपने अधिनस्थों को उचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए किस प्रकार की युक्तियों का उपयोग करना होता है?

व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि मुझ में और मेरे किसी भी सहपाठी में कोई अंतर है। मेरे पति भी एक आई.पी.एस. अधिकारी हैं तो ऐसा कहीं नहीं लगता है कि कुछ ऐसा है जो वह या मेरे अन्य पुरुष सहपाठी कर सकते हैं और मैं नहीं। जबकि, कुछ ऐसे मुद्दे हैं महिला अधिकारी जिसके प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं। लेकिन जहां तक अपने जूनियर पुलिसकर्मियों के बर्ताव का सवाल है। मूलरूप से पुरुषों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर यह स्वीकार करना कठिन होता है कि उन्हें एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में काम करना है। लेकिन, हमारा व्यवहार उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी अन्य पुरुष अधिकारी से कम नहीं हैं और कई स्थानों पर उनसे भी अधिक सख़्त हो सकती हैं। इस प्रकार, सप्ताह भर में उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें कुछ कम की आशा नहीं रखनी है बल्कि हो सकता है कुछ और अधिक करना पड़े और फिर वे लाईन पर आ जाते हैं। लेकिन, अगर मैं उनके समक्ष स्वंय को सिद्ध नहीं कर पाती हूँ तो हो सकता है वह मुझे गंभीरता से नहीं लें और बगैर मेरी जानकारी के वे ज़िले के बाहर चले जाएंगे, आदि।

हालांकि, मेरी महिला सहपाठी देश भर में बहुत अच्छा कर रही हैं और वे इस बात से सहमत होंगी कि शुरुआत में शायद एक सप्ताह या एक महीना भी हो सकता है कि उन्हें थोड़ी कठिनाई हो अपनी पकड़ बनाने में। लेकिन, यदि हम अपने ज़िले की सभी गतिविधियों पर पूरी नज़र रखें, उसकी जानकारी रखें तो एक दो मीटिंग के बाद उन्हें समझा आ जाता है कि हम उनसे किस प्रकार के काम की अपेक्षा रखते हैं और वे जितनी गंभीरता से इसका पालन करेंगे उनके लिए उतना बेहतर होगा।

क्या कोई ऐसा सुझाव है जो आप अन्य अधिकारियों को थाना स्तर पर बेहतर कार्य–प्रदर्शन के लिए देना चाहेंगी?

केरल में एक व्यवस्था है जिसे 'जनमैत्री समिति' कहते हैं। यह हमारी पुरानी बीट व्यवस्था ही है जिसमें बीट अफसर प्रत्येक घर में जाकर सूचना एकत्रित करता है और फिर वह लोगों के साथ नियमित रूप से मुलाकात करता है, मीटिंग करता है। जब हम यह करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करती हूँ कि यह एक सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है जिसे और अधिक ऊंचाई पर पहुँचना चाहिए। भविष्य में पुलिसिंग के लिए जनता की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। यदि केवल पुलिस, पुलिसिंग करेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जिस तरह जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है उस अनुपात में पुलिस की संख्या नहीं बढ़ रही है तो हर स्थान पर नजर रखने के लिए हमारे पास पुलिस नहीं होगी। इसलिए, पुलिसिंग के लिए हमें समान रूप से समुदाय की साझेदारी की आवश्यकता है क्योंकि समुदाय को सुरक्षित महसूस कराना पुलिस का दायित्व है और जब जनता पुलिस की सहायता करेगी तो वह अधिक सुरक्षित महसूस करेगी और साथ में पुलिस के डण्डे वाली छवि भी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार हमें भी उनसे कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। अपराध केवल घर में सेंद लगाना, हत्याए बलात्कार करना ही नहीं है बल्कि इससे हटके इसकी तैयारी और ऐसी उत्पन्न परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए भी हमें जनता से सुराग मिल सकता है जैसे आजकल स्कूलों में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं आदि। अगर जनता और पुलिस में सामंजस्य स्थापित हो जाए तो इसके जैसा कुछ नहीं। इसलिए, जनता के साथ मिलकर पुलिसिंग करने की हर सम्भव कोशिश हर स्थान पर की जानी चाहिए। इससे अपराधों को घटित होने से पहले ही रोकने में बहुत सफ़लता मिलेगी।

जहां हम अपराधों के नियंत्रण और उनकी जांच की बात करते हैं, दिल्ली के १६ दिसम्बर २०१२ के बलात्कार केस के बाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार और यौन हिंसा के केसो में जांच का दायित्व महिला अधिकारियों को देने का निर्देश दिया है। क्या आपके विचार में इसकी आवश्यकता है या कोई और विकल्प होना चाहिए?

केरल में हमारे पास जांच करने के लिए महिला जांच अधिकारी नहीं हैं क्योंकि यहां महिला अधिकारी ही नहीं हैं। मेरे ज़िले में केवल ३ महिला एस.आई. हैं तो यहां तो ऐसे केसों में भी जांच पुरुष अधिकारी ही करते हैं। क्योंकि जो ३ अधिकारी है वह भी थाने में उपस्थित नहीं होती। ऐसे में, जब हम यौन हिंसा के केसों में बयान लेते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि यह महिला कांस्टेबल के समक्ष लिया जाए। महिलाओं के विरुद्ध हुए अपराधों से निपटने के लिए महिला पुलिस को रखने की आवश्यकता नहीं है बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि पुरुषों को महिला पीड़ितों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाए। तमिलनाडू, जहां सबसे अधिक महिला थाने हैं उसके सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह लिखा है कि महिलाओं को उन थानों में अधिक सुरक्षित महसूस होता है जहां पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं न कि वहां जहां केवल महिलाएं हैं। इसलिए, हमें बच्चों और महिलाओं के प्रति अपने पुरुष पुलिसकर्मियों को अधिक दयालु और समानुभूति रखने वाला बनाना चाहिए न कि पुलिस में महिलाओं को भर्ती करने को ही इसका हल मानना चाहिए।

हालांकि, महिलाओं की न्यूनतम संख्या तो थानों में होनी ही चाहिए क्योंकि इससे थानों में भ्रष्टाचार का स्तर घट जाता है और थर्ड डिग्री प्रताड़ना नहीं होती केवल कुछ अपवादों को छोड़कर।

क्या आप जानते हैं?

इस खण्ड में हम इस बार पुलिस से संबंधित मीडिया के लिए आवश्यक निर्देशों को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है, आपके लिए यह सूचना उपयोगी होगी।

पुलिस की मीडिया नीतियों पर एडवाइज़री

संविधान की सातवीं सूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्य सरकार और केन्द्र शासित राज्यों (यू.टी.) की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है कि वह अपने अधिकारक्षेत्र में घटित सभी अपराधों को रोके, पता लगाये, दर्ज करे, जाँच करे और और उसका अभियोजन करे। हालांकि, संघ सरकार अपराधों को रोकने से जुड़ी बातों को बहुत अधिक महत्व देती है, और इसलिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों/यू.टी. प्रशासन को समय–समय पर आपराधिक न्याय प्रणाली के संचालन और इसमें अपराधों को रोकने पर अधिक ध्यान देने की सलाह देती रहती है।

पुलिस और मीडिया के अच्छे संबंध से पुलिस द्वारा किये गये साकारात्मक कार्यों और अच्छे खोजबीन और जाँच के लिए की गई कोशिशों पर फोकस करने में सहायता मिलती है। जब अपराध घटित होता है, उस स्थिति का उपयोग अपराध और कानून –व्यवस्था स्थिति को उचित संदर्भ में रखने के लिए किया जाना चाहिए, पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने की कोशिशों को उजागर करना, अनावश्यक आतंक को रोकना, और जनता को अपराध को रोकने के दृष्टिकोण से और उन्हें आतंकी हमले आदि से सावधान करने के लिए संदेश पहुँचाना चाहिए। प्रेस विज्ञप्ति और कांफ्रेंस, मीडिया और पुलिस के मध्य संवाद के महत्वपूर्ण भाग हैं। हालांकि, मीडिया के माध्यम से जनता को सूचना पहुँचाते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल सत्य और उचित तथा व्यावसायिक रूप से आवश्यक सूचना ही जनता के साथ, जांच में बाधा पहुँचाए बगैर या आरोपी तथा पीड़ित के निजता के अधिकारों, कानूनी/व्यक्तिगत मुद्दे को नुकसान पहुँचाए बगैर, बांटी जाए और इससे राष्ट्रीय और नीतिगत हित का भी नुकसान न हो इसके लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

मीडिया से व्यवहार करते समय निम्नलिखित दिशा–निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए :

i. केवल अधिकृत अधिकारियों द्वारा ही बड़े अपराधों, कानून –व्यवस्था की घटनाओं तथा पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण खोज, वसूली, उपलब्धियों से संबंधित सूचना मीडिया तक पहुँचाई जानी चाहिए।

ii. पुलिस अधिकारियों को अपने विवरण को आवश्यक तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए न कि आधे अधूरे, अटकलों पर आधारित और चल रही जांच के बारे में अनिश्चित तथ्यों को प्रेस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। आमतौर पर ब्रीफिंग केवल केस के निम्नलिखित चरणों में की जानी चाहिए :

क. रजिस्ट्रेशन,

ख. आरोपी व्यक्तियों की गिरफ़्तारी,

ग. केस के चार्जशीट के समय,

घ. केस के अंतिम परिणाम जैसे दोषसिद्धि/रिहाई आदि के समय।

ऐसे केस में जिसमें मीडिया की रुचि जुड़ी हो, प्रतिदिन एक विशेष समय निश्चित किया जाना चाहिए जब अधिकृत अधिकारी जांच के बारे में उचित बयान दे।

iii. पहले ४८ घण्टों में कोई भी अनावश्यक सूचना न जारी की जाए सिवाय घटना के तथ्य के बारे में और यह कि जांच शुरू हो गई है।

iv. जांच के विभिन्न पंक्तियों/प्रगति के बारे में प्रतिदिन/नियमित आधार पर थोड़ा–थोड़ा सुराग देने की आम प्रवृत्ति से कठोरता से बचना होगा ताकि जांच में कोई कमी न रहे और अपराधियों/संदिग्धों को पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच के बारे में संभावित कदम की सूचना का अनुचित लाभ उठाने का अवसर न मिले।

v. किशोरों और बलात्कार पीड़ितों की पहचान गुप्त रखने से संबंधी कानूनी प्रावधान और अदालत के दिशा–निर्देशों का सुक्ष्मता से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में किशोरों और बलात्कार पीड़ितों की पहचान मीडिया के सामने नहीं खोली जानी चाहिए।

vi. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए ताकि पीड़ित/आरोपी के किसी कानूनी, निजता और मानव अधिकार का उल्लंघन न हो।

क) गिरफ़्तार व्यक्तियों को मीडिया के सामने कभी नहीं लाया जाना चाहिए।

ख) जिन लोगों की पहचान के लिए परेड कराई जाती है, उनके चेहरों को मीडिया से छुपा कर रखना चाहिए।

vii. जब पुलिस मीडिया को विवरण दे तो कोई आलोचनात्मक और दुराग्रही बयान नहीं दिया जाना चाहिए।

viii. जहां तक सम्भव हो, आरोपी/पीड़ित का मीडिया द्वारा साक्षात्कार करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि पुलिस द्वारा उनका बयान दर्ज नहीं कर लिया जाता।

ix. आपराधिक केसों का पता लगाने के लिए उपयोग किये जाने वाले पुलिस की व्यावसायिक कौशलों और तकनीकी साधनों का प्रकटन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सम्भावित अपराधियों को उनके अगले अपराध की योजना बनाने में उचित रूप से सावधान कर देता है।

x. जिन केसों में राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी हो, मीडिया के साथ कोई भी सूचना तब तक नहीं बाँटी जानी चाहिए जब तक पूरा ऑपरेशन समाप्त न हो जाए और सभी अपराधी पकड़ न लिये गये हों।

xi. ऑपरेशन करने की कार्य–प्रणाली को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। ऑपरेशन के समाप्त होने पर केवल पकड़े गये लोगों और प्राप्तियों का विवरण ही मीडिया से किया जाना चाहिए।

xii. इस मुद्दे पर अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

xiii. अच्छा हो कि, सभी मीडिया के लोगों की तत्कालिक सूचना की आवश्यकताओं को और किसी अपराध की घटना की वास्तविक अवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए एक जन संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया जाए।

xiv. जब कभी भी किसी घटना से संबंधित विभाग के बारे में कोई गलत रिपोर्ट या गलत तथ्यों की रिपोर्ट प्रकाशित हो और विभाग को उसकी जानकारी मिले तो उसका उचित प्रत्युत्तर जारी किया जाना चाहिए और अधिक संगीन केसों में, इस बात की औपचारिक कार्यवाही के लिए उचित स्तर पर ले जाया जाना चाहिए।

xv. किसी पुलिस अधिकारी/संबंधित अधिकारियों द्वारा इन निर्देशों की अनदेखी को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादिका जी
नमस्कार!

लोक पुलिस के अक्टूबर के अंक में 'पुलिस स्मृति दिवस और पुलिस सुधार' शीर्षक से प्रकाशित लेख में श्री वी.एन.राय द्वारा पुलिस सुधार के लिए सुझाए गये संवेदी पुलिस और सशक्त समाज के सिद्धांत पर सुधार को आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, मैं भी इस मत से सहमति रखता हूँ। पुलिस सुधार की जहां भी कोशिश हो उसकी दिशा पुलिस को जन संवेदी बनाने की ओर होना चाहिए तभी जनता को उचित सेवा प्रदान करने का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होगा। लेकिन, बात वहीं आकर रुक जाती है कि इसके लिए राजनैतिक ईच्छाशक्ति आवश्यक होगी। और पुलिस सुधार के लिए राजनीति की गलियाँ और प्रशिक्षण की प्रणालियाँ ही केन्द्र में होनी चाहिए।

आशा है पुलिस सुधार की सही दिशा तय की जाकर उस पर आगे बढ़ा जा सके।

धन्यवाद!
पुलिस इंस्पेक्टर, इंदौर
सदस्य, मध्य प्रदेश पुलिस

महोदया,
अक्तूबर के ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित श्री शत्रुजीत कपूर के साक्षात्कार के अंतर्गत हरियाणा में विभिन्न स्कीमों के तैयार मसौदों के बारे में जानकारी मिली, जिन्हें अगर सरकार की स्वीकृति मिल जाए तो दोषसिद्धि दर में काफ़ी बढ़ोतरी होने की आशा की जा सकती है। प्रस्तावित लीगल सेल से अभियोजन का पक्ष बहुत मज़बूत हो सकता है। इसके अलावा यदि स्टाफिंग पर भी स्पेशल इंवेस्टिगेटर के लिए नियुक्ति हो सके तो अपराधों की जांच की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी हो जाएगी।

हरियाणा के उदाहरण से प्रेरित होकर हो सकता है, दूसरे राज्य भी इसे अपने यहां अपनायें।

हेड कांस्टेबल, राँची
सदस्य, झारखंड पुलिस

हम, ***लोक पुलिस*** के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, ***लोक पुलिस*** में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

हरियाणा पुलिस : पुराने राइफल का असफल प्रयोग

हरियाणा पुलिस आज भी १९वीं सदी के पुराने .३०३ राइफल के उपयोग लिए तत्पर दिखाई देती है। हाल ही में, ७ दिसंबर २०१४ को इसका एक नमूना तब देखने को मिला जब शहीद सिपाही लांस नायक दीपक कुमार के संस्कार के समय उनके पैतृक गांव जिंद में रस्मी सलामी के दौरान राइफल से फायर नहीं हो सका।

शर्मिंदा होकर पुलिस अधिकारियों ने जिंद पुलिस लाईन के शस्त्र गृह इंचार्ज और जो पुलिस टीम संस्कार समारोह में तैनात किये गये थे उन्हें निलंबित करके दण्ड के तौर पर १ वर्ष के प्रशिक्षण के लिए हरियाणा पुलिस अकादमी में भेज दिया गया है।

हालांकि, कांस्टेबुलरी ने कम उपयुक्त .३०३ राइफल के ख़राब प्रदर्शन का कारण .३०३ राइफल के कम फायरिंग सत्रों को बताया है। एक हेड कांस्टेबल ने बताया, "सप्ताह में केवल २ बार पुलिस बल अनिवार्य फायरिंग प्रैक्टिस के लिए जाती है। जब तक आप किसी हथियार का उपयोग नहीं करेंगे उसे कैसे जांचेंगे? और हम कोई सैन्य बल नहीं हैं जो इसे हमेशा उपयोग करते हैं।"

दूसरे कई राज्यों ने .३०३ राइफलों का उपयोग काफ़ी पहले ही बंद कर दिया है लेकिन शायद हरियाणा पुलिस इस पुराने राइफल को अपने शस्त्रगृह से अभी भी हटाना नहीं चाहती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस के विभिन्न विभाग जैसे– पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, भारतीय रिज़र्व बटालियन, पुलिस लाईनों, हरियाणा सैन्य पुलिस, पुलिस पोस्ट, थाने और हरियाणा पुलिस अकादमी में ऐसे तकरीबन ५५,००० राइफल रखे हुए हैं।

ए.डी.जी.पी.(प्रशिक्षण) आर.सी. मिश्रा ने बताया, ".३०३ राइफल प्रशिक्षण का भाग हैं। हमारे पास दूसरे हथियार भी हैं लेकिन .३०३ राइफल का उपयोग भी ड्रिल का भाग है। हालांकि, सभी हथियारों को आवधिक रूप से जांच किया जाता है।"

कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की कि उक्त राइफल का उपयोग नये प्रशिक्षणार्थियों के ड्रिल के दौरान ही होता है जबकि क्षेत्र में उपयोग करने की इन्हें शायद ही कभी आवश्यकता आती है क्योंकि बल के पास बेहतर और आधुनिक हथियार मौजूद हैं।

एक बेहद शर्मसार करने वाली घटना के बाद, जबकि किसी शहीद को श्रद्धांजलि देते समय भी इस .३०३ राइफल का उपयोग नहीं हो सका, शायद सरकार को अब इस पुराने हथियार को अपने शस्त्रगृह से हटा देने की आवश्यकता महसूस हो। दरअसल, ऐसे हथियार जिनका उपयोग कहीं होना ही नहीं है उसे ड्रिल के दौरान भी नये प्रशिक्षणार्थियों को सिखाना समय और संसाधन को बर्बाद करने जैसा है। इसलिए, भविष्य में फिर किसी शर्मिंदगी से बचने के लिए न केवल .३०३ राइफल बल्कि संपूर्ण शस्त्रों की निरीक्षण किया जाना चाहिए और उपयोगिता के आधार पर ही शस्त्रगृह में रखना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम ११ दिसंबर २०१४)

बिहार पुलिस : महिलाकर्मियों के लिए शौचालय सुनिश्चित कराने का आदेश

बिहार पुलिस की महिला पुलिसकर्मियों द्वारा थानों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय न होने के कारण नाराज़गी को देखते हुए, अधिकारियों ने सभी पुलिस अधिक्षकों को इस सुविधा को अगले १५ दिनों में उपलब्ध कराने को कहा है।

सी.आई.डी. कमज़ोर वर्ग ए.डी.जी. अरविंद पांडे ने आज सभी ज़िले के एस.पी. को प्रत्येक थाने में अलग शौचालय बनाने को कहा है और साथ ही १५ दिनों के भीतर फोटो के साथ इसकी अनुपालना रिपोर्ट भी भेजने को कहा है।

श्री पांडे द्वारा भेजी गई चिट्ठी में कठोर शब्दों में ए.डी.जी. ने लिखा है कि थानों में, जिसकी स्थापना महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए किया गया था, महिलाओं के लिए शौचालयों का उपलब्ध न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा "बिहार के प्रत्येक ज़िले में एक महिला थाना है। हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण द्वारा यह पता लगा है कि कुछ के अलावा बाकी किसी भी थाने में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है। परिणामस्वरूप, उन्हें शर्मनाक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मैंने ज़िला एस.पी. और एस.एस.पी. को डी.एम. और पी.एच.ई.डी. के कार्यकारी अभियनताओं से संपर्क करके सभी महिला थानों के अहातों में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस दो शौचालयों के निर्माण के लिए कहा है जिसमें से एक महिला पुलिसकर्मियों के लिए होगा और दूसरा महिला विज़िटरों के लिए।"

श्री पांडे ने कहा है कि वह उनके निर्देशों के अनुपालन को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करेंगे और इसलिए उन्होंने ज़िला पुलिस अधिकारियों को ई–मेल या फैक्स द्वारा बने हुए शौचालयों का साफ़ फोटो उनके ऑफिस में भेजने को भी कहा है।

बिहार पुलिस द्वारा महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानजनक कार्यस्थल प्रदान कराने की यह मुहिम निःसंदेह ही सराहनीय है। इन निर्देशों के अनुसार, जब तक इस पत्रिका की प्रति आप के हाँथों में होगी तब तक बिहार के प्रत्येक थानों में नव निर्मित शौचालय मौजूद होंगे।

(सौजन्य : बिज़नस स्टैंडर्ड डॉट कॉम १२ दिसंबर २०१४)

थानों में महिला पुलिस के लिए अलग बैरक

उत्तर प्रदेश के सभी थानों में अब महिला आरक्षकों के लिए अलग बैरक, विश्राम गृह, कपड़े बदलने का कमरा, शौचालय होगा। इसके अलावा, थानों में विज़िटर कक्ष भी बनाया जाएगा ताकि लोगों को ख़राब मौसमों में भी पेड़ की छाया में न बैठना पड़े या धूप में न खड़ा होना पड़े।

पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस काम के लिए ६०० करोड़ रुपए की सरकारी विज्ञप्ति प्राप्त की गई है। जिला अधिकारियों को महिला बैरकों के निर्माण के लिए स्थान चुनने के लिए कह दिया गया है। यह निर्णय महिलाओं को हो रही असुविधा को देखते हुए लिया गया। जैसा कि एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कई शिकायते प्राप्त हुई हैं विशेषकर देहाती क्षेत्र के थानों से जहां केवल एक ही कमरा होता है। ए.डी.जी., पुलिस मुख्यालय, सूर्या कुमार ने कहा, "पूरे राज्य में विज़िटर कक्ष, शौचालयों, विश्राम गृह का निर्माण चरणों में होगा। पहले निर्माण तहसील मुख्यालयों और और बाद में ज़िला में होगा। महिला कांस्टेबलों ने इस कदम का स्वागत किया।"

राज्य सरकार द्वारा यह घोषणा आवश्यक रूप से महिला पुलिस कांस्टेबलों को राहत पहुँचाएगी और साथ ही उनके मनोबल को भी बढ़ाने में सहायक होगी। महिला पुलिस को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने से उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की आशा की जा सकती है। पुलिसकर्मियों की बेहतरी के ऐसे हर साकारात्मक पहल का स्वागत होना चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम १० दिसंबर २०१४)

जनजातीय महिला पुलिस की मृत्युः हत्या या आत्महत्या?

निर्भया और बदायूँ सामूहिक बलात्कार केस ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मीडिया ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कवर किया था। लेकिन, ऐसा सभी अपराधों के साथ नहीं हो रहा है। इसी का उदाहरण है गुजरात के नर्मदा ज़िले के राजपिपला की एक जनजातीय महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मृत्यु के केस में जिसके बारे में आम जनता की सूचना नगण्य है। इस केस को पुलिस अब तक आत्म हत्या का केस कह कर रफ़ा–दफ़ा करने की तैयारी में थी जब तक कि गुजरात वुमन राईट्स काउंसल जोकि अहमदाबाद के दलित राईट्स पर काम करने वाले संस्था नवसर्जन ट्रस्ट का एक भाग है, के द्वारा इसे यौन उत्पीड़न के बाद हत्या का मामला बतला कर केस दर्ज कराने की मांग की। २६ नवंबर को देर रात को २८ वर्षीय वसंती की मृत्यु की ख़बर संबंधित सक्रियतावादियों को मिली और इसके बाद उन्होंने जब राजपिपला नगरपालिका प्रमुख महेश वसाया से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि इसे गले में फंदा डालकर आत्म हत्या का केस बतलाया गया है।

व्संती का मृत शरीर २६ नवंबर को देर शाम के समय राजपिपला के पुलिस क्वार्टर के उसके कमरे से निकाला गया। पुलिस ने उन परिवार जनों को किनारे कर दिया था जो इसे यौन उत्पीड़न के बाद हत्या करार दे रहे थे। इसे बाद में जनजातीय लोगों के साथ ऐक्टिविस्ट्स द्वारा थाने पर प्रदर्शन करने के बाद 'संभावित हत्या' में बदल दिया गया। उसके बावजूद भी पुलिस एक कथित आत्महत्या नोट का हवाला दे रही थी जिसमें यह लिखा था कि मैं "अपनी इच्छा से आत्म–हत्या कर रही हूँ और कोई भी मेरी मृत्यु का ज़िम्मेदार नहीं है। कृपया मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का कोई भी चिकित्सीय परीक्षण न करावाया जाए। यह मेरी अंतिम इच्छा है।" परिवारजनों ने बतलाया कि यह लिखावट वसंती की नहीं थी लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं मान रही थी। इन सबकी जानकारी तब मिली जब उक्त कार्यकर्ता वहां २७ नवंबर को पहुँचे।

एक युवक, महेश ने कार्यकर्ताओं को बताया कि वसंती हमेशा हेड कांस्टेबल विजयसिंह दीपसिंह, आरोपियों द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में बताया करती थी और क्या करना है इसके बारे में असमर्थता पर रोया करती थी। कार्यकर्ताओं का साथ मिलने पर परिवारजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया और जनजातीय समूह ने रैली निकालकर आरोपी की तुरंत गिरफ़्तारी की मांग की और पार्थिव शरीर को वडोदरा ले जाया गया।

परिवारजनों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह तकरीबन १० वर्षों से उसी थाने में काम कर रहा था और कई वरिष्ठ अधिकारियों के राज़ जानता था। उसी समय आरोपी राजपिपला से ग़ायब हो गया।

इसके बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस से इस बात की मांग शुरु की, कि यदि अंतिम संस्कार करना है तो आरोपी की गिरफ़्तारी आवश्यक है यदि अंतिम संस्कार करना है और एफ.आई.आर. में अत्याचार विरोधी कानून को भी शामिल किया जाना चाहिए।

अंततः नर्मदा के एस.पी. मनोहर सिंह जडेजा ने परिवारजनों को लिखित में दिया कि ३ दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और २९ नवंबर को अंतिम संस्कार किया गया। कार्यकर्ताओं की मांग पर शरीर को जलाने के बजाय दफनाया गया क्योंकि जांच के दौरान इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी।

१ दिसंबर को आरोपी को गिरफ़्तार करके ४ दिनों की पुलिस रिंमांड में भेज दिया गया।

यहां यह स्पष्ट है कि मीडिया ने अपनी ओर से केस को उजागर करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया और साथ ही पुलिस भी अपने दायित्वों से भागती रही। ऐसे में पुलिस से कर्तव्यनिष्ठा के लिए आग्रह ही किया जा सकता है।

(सौजन्य : काउंटरव्यूह डॉट नेट दिसंबर २०१४)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००ए फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईटः http://www.humanrightsinitiative.org